फोकल शिक्षक, बाल प्रेरक और विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की गठन की प्रक्रिया

1. फोकल शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया

- विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक की देखरेख एवं संरक्षण में इस कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु एक शिक्षक को फोकल शिक्षक के रूप में नामित कर उन्हें प्रशिक्षित करायेंगे।

- **नोटः** कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों मे 1 तथा कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों में 2 फोकल शिक्षक होंगें।
- उच्च विद्यालयों में 2 फोकल शिक्षकों में से एक शिक्षिका होंगी।

फोकल शिक्षक के कार्य दायित्व निम्नरूपेण होगें ।

- विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन और प्रशिक्षण करवाना।
- हजार्ड हंट तथा मैपिंग करवाना।
- विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण करवाना।
- बाल प्रेरकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित करवाना।
- बाल प्रेरकों द्वारा **सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी** के अनुसार निर्धारित गतिविधियॉ प्रत्येक शनिवार को क्रियान्वित करवाना।
- बच्चों को दिये गये ज्ञान एवं कौशल का नियमित अभ्यास करवाना

2. बाल प्रेरक की अवधारणा–

क. प्राथमिक विद्यालयों में बाल प्रेरक का चयन

- प्राथमिक विद्यालयों में बाल प्रेरक के रूप में केवल चौथी एवं पॉचवीं कक्षा के 4–5 बच्चे को बाल प्रेरक के रूप में चयन किया जाये ताकि पॉचवीं कक्षा के चयनित बाल प्ररेक दूसरे विद्यालय के छठी वर्ग में चले जाने की स्थिति में चौथी वर्ग के बच्चे अगर शुरूआत से ही बाल प्रेरक के रूप में तैयार रहेगें तो एकाएक कक्षा बदलने से कार्य बाधित नहीं हो सकेगा। अतएव प्राथमिक विद्यालयों में चौथी वर्ग के बच्चे को भी बाल प्रेरक के रूप में तैयार किया जाय।

ख. मध्य विद्यालयों में बाल प्रेरक का चयन

- इसी प्रकार अपर प्राईमरी या मध्य विद्यालयों में कक्षा 6, 7 एवं 8 के प्रत्येक वर्गकक्ष से यानी प्रत्येक सेक्शन से 3–3 बच्चों को बाल प्रेरक के रूप चयन किया जाय।
- बाल प्रेरक में बाल–संसद एवं मीना मंच के छात्र– छात्राओं को भी शामिल किया जा सकता है।

ग. वर्ग 9 से 12 तक के विद्यालयों में बाल प्रेरकों का चयन

- विद्यालय में जितने वर्ग एवं सेक्सन चलते है प्रत्येक कक्षा हेतु 2 बाल प्रेरकों का चयन होगा। अर्थात् किसी विद्यालय में वर्ग 9 से 12 तक 4 सेक्सन चलते है यानि उस विद्यालय में 16 कक्ष में कक्षाओं का संचालन होता है तो उस विद्यालय में 16 x 2 = 32 बाल प्रेरकों का चयन होगा।

बाल प्रेरकों का चयन

- बाल प्रेरकों के रूप में वैसे बच्चों का चयन किया जायेगा जिनका संवाद संप्रेषण अच्छा हो। बाल प्रेरकों का चयन बच्चों द्वारा ही किया जायेगा।
- बाल प्रेरक के रूप में बालक एवं बालिकाओं को बराबर अवसर प्रदान किया जायेगा।
- बाल प्रेरकों को विभिन्न विषयों जैसे– भूकंप, बाढ़, अगलगी, ठनका, सड़क दुर्घटना, सुखाड़, भगदड़, जलवायु परिवर्तन, सर्पदंश, पेयजल, स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता में व्यवहार परिवर्तन अधिनियम, डायरिया, निमोनिया जैसे बीमारियों के प्रबंधन, प्राथमिक उपचार, खोज एवं बचाव, स्वास्थ्य एवं पोषण, पॉक्सो एक्ट इत्यादि पर प्रशिक्षित कराया जाएगा।
- विद्यालय के अन्य सभी बच्चों को विभिन्न आपदा के बारे में जानकारी एवं कौशल विकास हेतु बाल प्रेरक के द्वारा पढ़ाने/सीखने (पीयर–टू–पीयर एजुकेशन) विधि का प्रयोग किया जायेगा।
- प्रत्येक प्रशिक्षित बाल प्रेरक को अलग–अलग कक्षा के बच्चों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी बाँटकर, सुरक्षित शनिवार के वार्षिक सारणी के अनुसार प्रत्येक शनिवार को सीखने–सिखाने हेतु प्रेरित किया जाए। जब बाल प्रेरक अन्य बच्चे को प्रशिक्षित कर रहे हो तब उन्हें उत्साहित किया जाए तथा यथासंभव उन्हें सुझाव/सलाह दी जाए।
- बाल प्रेरकों को एक दिन पूर्व ही फोकल शिक्षक विषय की जानकारी देंगे एवं पूर्व तैयारी करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- बाल प्रेरकों को नियमित रूप से प्रशिक्षित एवं क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता होगी।

3. विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति गठन की प्रक्रिया

- विद्यालय समुदाय जिसमें विद्यालय के बच्चे, शिक्षक, अभिभावक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के 3 मनोनीत सदस्य शामिल होगें, के साथ बैठक कर कार्यक्रम के उद्देश्य, विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की संरचना एवं रूपरेखा के बारे में विस्तार से चर्चा करायी जाए।

- समिति में बाल संसद के सभी मंत्री, फोकल शिक्षक, विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष तथा अलग–अलग कक्षाओं के 2–3 बाल प्रेरक शामिल होंगे।

- बाल–संसद में अन्य मंत्रियों के अलावे एक बाल सुरक्षा मंत्री तथा उसके उप–मंत्री नामित किये जाएंगे। इन दोनों को भी विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति में शामिल किया जाएगा।

- अपर प्राईमरी या मध्य विद्यालयों में मीना मंच की मीना और उप–मीना/सहायक मीना को भी विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति में शामिल किया जाएगा। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का आकार अधिकतम 12–13 सदस्यों का होगा।

- प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्यों को उनके कार्यदायित्व के बारे में बताया जाये तथा माह में एकबार बैठक करने की तिथि भी निर्धारित कर लिया जाये। समिति के बैठक हेतु एजेण्डा भी बनाये जा सकते है, जैसे– बैठक की तिथि के पूर्व किये गये कार्यो की समीक्षा, योजना के अनुसार संपादित गतिविधियॉ एवं लंबित कार्यो को अलग–अलग सूचीबद्व करना, अगले माह की कार्ययोजना पर चर्चा एवं उसके क्रियान्वयन हेतु जिम्मेवारी तय करना तथा इसके अनुश्रवण एवं निगरानी के तरीके पर चर्चा इत्यादि।

- इसी प्रकार निजी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति एवं बच्चों को शामिल कर विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाए।

- मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों में मदरसा विद्यालय प्रबंधन समिति एवं बच्चों को शामिल कर विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाए।

प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की संरचना

क्रम संख्या	सदस्य	पदनाम	संख्या
1.	VSS के अध्यक्ष (वार्ड सदस्य)	अध्यक्ष	1
2.	फोकल शिक्षक	सचिव	1
3.	बाल संसद के 6 मंत्री	सदस्य	6
4.	बाल सुरक्षा मंत्री एवं उपमंत्री	सदस्य	2
5.	बाल प्रेरक	सदस्य	3
कुल			**13**

मध्य विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की संरचना

क्रम संख्या	सदस्य	पदनाम	संख्या
1.	VSS के अध्यक्ष (वार्ड सदस्य)	अध्यक्ष	1
2.	फोकल शिक्षक	सचिव	1
3.	बाल संसद के 6 मंत्री	सदस्य	6
4.	बाल सुरक्षा मंत्री एवं उपमंत्री	सदस्य	2
5.	मीना एवं उप मीना	सदस्य	2
6.	एक बाल प्रेरक	सदस्य	1
कुल			**13**

उच्च विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की संरचना

क्रम संख्या	सदस्य	पदनाम	संख्या
1.	प्रधानाध्यापक	अध्यक्ष	1
2.	फोकल शिक्षक	सचिव	1
3.	फोकल शिक्षक	संयोजक	1
4.	युथ क्लब/इको क्लब/किशोरी मंच/बाल प्रेरक	सदस्य	10
कुल			**13**

नोटः उच्च विद्यालयों में सचिव और संयोजक का पद Rotation के आधार पर मासिक परिवर्तन होगा।

मदरसा विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की संरचना

क्रम संख्या	सदस्य	पदनाम	संख्या
1.	मदरसा का सचिव	अध्यक्ष	1
2.	फोकल शिक्षक	सचिव	1
3.	अत्फाले अंजूम	सदस्य	4
4.	अत्फाले तरधीन दाहिंदा	सदस्य	4
5.	क्लास निगरा	सदस्य	3
कुल			**13**

निजी विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की संरचना

क्रम संख्या	सदस्य	पदनाम	संख्या
1.	प्रबंध समिति के सचिव	अध्यक्ष	1
2.	फोकल शिक्षक	सचिव	1
3.	क्लास मॉनिटर, बाल प्रेरक, हाउस कॉर्डिनेटर से 11 छात्र/छात्रा	सदस्य	11
कुल			**13**

मास्टर ट्रेनर
शशिधर उज्ज्वल, औरंगाबाद
मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम